2022/370

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर
तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 68 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.11.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 10.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री जसवत पुत्र श्री छगनलाल शाह निवासी सांतपुर आबूरोड द्वारा श्री लाभ शंकर पुत्र श्री सूर्यप्रकाश त्रिवेदी द्वारा नियमों के विरूद्ध ग्राम पंचायत सांतपुर से पट्टा बनाने बाबत दिनांक 19.11.2008 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सिरोही को शिकायत की गई, जिस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्रांक / पंचायत / जांच / 2009 / 2062 दिनांक 05.12.2009 के तहत उक्त शिकायत की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा करवाई गई एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड उक्त शिकायत की जांच कर जरिए पत्रांक / पसआ / पंचायत / 10 / 1232 दिनांक 22.02.2010 के तहत जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर सिरोही को प्रेषित किया गया। उक्त जांच पत्रावली की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलाट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 10.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री जसवत पुत्र श्री छगनलाल शाह निवासी सांतपुर आबूरोड द्वारा श्री लाभ शंकर पुत्र श्री सूर्यप्रकाश त्रिवेदी द्वारा नियमों के विरूद्ध ग्राम पंचायत सांतपुर से पट्टा बनाने बाबत दिनांक 19.11.2008 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सिरोही को शिकायत की गई, जिस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्रांक / पंचायत / जांच / 2009 / 2062 दिनांक 05.12.2009 के तहत उक्त शिकायत की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा करवाई गई एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड उक्त शिकायत की जांच कर जरिए पत्रांक / पसआ / पंचायत / 10 / 1232 दिनांक 22.02.2010 के तहत जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर सिरोही को प्रेषित किया गया। उक्त जांच पत्रावली की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को [illegible] किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई आपसे सम्बन्धित सूचना [illegible] उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पीकिंग आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:35:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner